राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1797/2025

अनिल कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव–सह–आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) सह संयुक्त सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर में कार्यरत है और हाल ही कार्यालय डीटीओ, भीलवाडा में पदस्थापित है। अपीलार्थी का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान ब्यावर से जैसलमेर किया गया है। अपीलार्थी हृदय रोग से पीडित है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पिछले 6 माह में तीन बार स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य को पदस्थापित नहीं किया गया है। नियमित उपचार चलने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का हृदय से संबंधित उपचार चल रहा है, ऐसे में अपीलार्थी अपने स्थानांतरण के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है, परंतु यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अथवा राज्यहित में ली जानी है। इस प्रकार हम आलोच्य स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष